

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रायबरेली।

आदेश संख्या 109/2020 दिनांक 26.07.2020

दिनांक 25.07.2020 को सायंकाल पुलिस अधीक्षक, रायबरेली के पत्रांक-कोविड 19/2020 दिनांकित 25.07.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली से प्राप्त कोरोना परीक्षण रिपोर्ट में जनपद न्यायालय सुरक्षा में तैनात 2 आरक्षी हे0का0 राजेश कुमार एवं का0 आशुतोष कुमार समरेश चन्द्र की रिपोर्ट पाजिटिव प्राप्त हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या 806/जे0ए0-कोविड 19/2020 दिनांकित 25.07.2020 जो दिनांक 25.07.2020 को सायं 9.35 बजे प्राप्त हुआ है, के द्वारा न्यायालय परिसर को 48 घन्टे तक सील करके सैनेटाइज किये जाने हेतु कहा गया है।

तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1117/LXXXVII- CPC/ e-Courts दिनांकित 03.06.2020 व उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1431/2020/सी.एक्स.-3 दिनांकित 06.06.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में न्यायालय परिसर को पूर्णतः सैनेटाइज कराने हेतु दिनांक 26.07.2020 (रविवार) एवं 27.07.2020 (सोमवार) को जनपद न्यायालय रायबरेली के समस्त न्यायालय व कार्यालय को पूर्णतः सील किया जाता है। दिनांक 28.07.2020 से सभी न्यायालय पूर्ववत खुलेंगे।

जिलाधिकारी, रायबरेली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायबरेली सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को सैनेटाईज कराना सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि जनपद न्यायालय रायबरेली से सम्बन्धित ऐसे मामलों की सूचना व वांछित आख्या को यथाशीघ्र प्रेषित किया करें, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुये आख्या माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा सके।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

ह0/-

दिनांक 26.07.2020

(अनूप कुमार गोयल)
जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, रायबरेली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली।
- 5- अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली।
- 6- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायबरेली।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, रायबरेली।
- 8- सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, रायबरेली।
- 9- डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, रायबरेली।

दिनांक : 26.07.2020

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय,
Office of the District Judge
Raebareilly